न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या 305 / 2024 अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. केसराराम पुत्र लाधुराम 2. पेमाराम पुत्र लाधुराम जाति जाट, निवासी सरणीला पार तहसील शिव, जिला बाड़मेर 3. सीजोदेवी पत्नी पताराम जाति जाट, निवासी नांद तहसील बाड़मेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर 4. पारूदेवी पत्नी गजाराम जाति जाट, निवासी चौखोणियों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर		राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थीगण :– श्री बृजमोहन कुमावत।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 17.09.2025

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत मौजा झारी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 565, 704 / 565 रकबा 0.2428, 12.3118 हैक्टेयर के आये हुए है। उक्त विवादित आराजी का मूल खसरा नम्बर 565 रकबा 12.6261 हैक्टेयर था, जिसमें से रास्ता कटाण होने से खसरे के टुकड़े होने पर वर्तमान खसरे कायम किये गये। उक्त वर्तमान खसरा नम्बर मे मूल खसरा नम्बर 565 का रकबा 12.3118 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 704 / 565 का रकबा 0.2428 हैक्टेयर है परन्तु राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन करते समय राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा विवादित आराजी के खसरा नम्बर का अंकन बिना मौका मुआयना किये तथा कब्जा काश्त की बिना जांच किये मूल खसरा नम्बर 565 का रकबा 0.2428 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 704 / 565 का रकबा 12.3118 हैक्टेयर दर्ज कर दिया गया जबकि लट्ठा नक्शा में खसरा नम्बर 704 / 565 का रकबा 0.2428 हैक्टेयर ही दर्ज है। वर्तमान मे जब प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी की नकल प्राप्त की, तब ज्ञान हुआ कि उसकी खातेदारी के की लट्ठा नक्शा एवं राजस्व रेकर्ड मे दर्ज रकबा में भारी भिन्नता है तथा दोनों एक दूसरे के विरोधाभाषी है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड में विरोधाभाषी रकबा अंकित होने पर लट्ठा नक्शा में अंकितानुसार रकबा व तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर मौतबिरान व पक्षकारान् के रूबरू जांच की गई, जिसमें विवादित आराजी पूर्व में मूल खसरा नम्बर 565 था। बाद में कदीमी रास्ता [illegible] से [illegible] का विभाजन किया गया, जिसमें खसरा नम्बर 704 / 565, 565 रकबा क्रमशः [illegible]186, [illegible]2428 हैक्टेयर जमाबंदी मे अंकित है जो सही है। परन्तु लट्ठा [illegible] समय खसरा नम्बर एक दुसरे के विपरीत दर्ज हो गये [illegible] जगह 704 / 565 व [illegible] नम्बर 704 / 565 की जगह 565 का अंकन हो गया है, [illegible] दुरस्त किया जाना प्र[illegible] किया गया है। तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न वास्तविक स्थिति अनुसार तरमीम नक्शा में खसरा नम्बर 565 बरंग लाल और खसरा नम्बर 704 / 565 बरंग हरा दर्शाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी, शिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 12:04:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान खसरा नम्बर रकबा व तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न वास्तविक स्थिति अनुसार तरमीम नक्शा अनुसार रकबा व तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित तरमीम दुरस्ती नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्ती पक्षकारान् के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार होने पर प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया जाकर सहमति प्रदान की गई है। मौका रिपोर्ट अनुसार ट्रेस नक्शा मे खसरों का अंकन करते समय खसरा नम्बर एक दुसरे के विपरीत दर्ज हो गये अर्थात खसरा नम्बर 565 की जगह खसरा नम्बर 704/565 व खसरा नम्बर 704/565 की जगह खसरा नम्बर 565 का अंकन हो गया है, जिसे दुरस्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है। तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न वास्तविक स्थिति अनुसार तरमीम नक्शा में खसरा नम्बर 565 बरंग लाल और खसरा नम्बर 704/565 बरंग हरा दर्शाया गया है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम झरी, तहसील शिव में प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर 565, 704/565 रकबा 0.2428, 12.3118 हैक्टेयर हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न वास्तविक स्थिति अनुसार तरमीम नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न संलग्न वास्तविक स्थिति अनुसार तरमीम नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव
सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)
उपखण्ड अधिकारी, शिव

आदेश आज दिनांक 17.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)
उपखण्ड अधिकारी, शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 12:04:40 IST
Reason: SelfAttested